

an>

title: Need to provide timely and adequate financial help to cancer patients seeking help from Prime Minister's National Relief Fund.

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर) : मैं सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से गरीब रोगियों को दिये जाने वाले अनुदान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

विदित हो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से माननीय सांसदों की अनुशंसा के आलोक में विभिन्न प्रकार के साध्य एवं असाध्य रोगों के उपचार हेतु गरीब एवं आर्थिक रूप से अक्षम रोगियों को अनुदान दिया जाता है। इन असाध्य रोगों में एक जानलेवा एवं उपचार की दृष्टि से काफी खर्चीला रोग कैंसर है जिसके उपचार में लगभग 5-6 लाख रुपये का खर्च आता है। पी.एम.एन.आर.एफ. से लगभग ढाई से तीन लाख रुपये का ही अनुदान दिया जाता है बाकी रोगियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी पड़ती है जो गरीब रोगियों के वश में नहीं होता है। वैसे गरीब रोगी अनुदान की स्वीकृति के बावजूद बाकी की राशि की व्यवस्था न कर पाने के कारण मौत के मुँह में चले जाते हैं। साथ ही ऐसा भी देखा जाता है कि अनुदान की स्वीकृति में काफी समय लगता है जिस कारण तेज रफ्तार से बढ़ने वाला कैंसर एवं अन्य साध्य एवं असाध्य रोग बढ़कर ताइलाज हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनुदान की स्वीकृति औचित्यपूर्ण नहीं रह जाती है। एक बात और भी काबिलेगौर है कि माननीय सांसदों की अनुशंसा पर प्रतिमाह दो ही रोगियों को अनुदान की स्वीकृति होती है, जो नाकाफी है। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में गरीब रोगियों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें अनुदान की अति आवश्यकता है।

मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उपरोक्त बिन्दुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कैंसर एवं अन्य असाध्य रोगों के लिए अनुदान की राशि दोगुनी की जाये। अनुदान राशि की उपलब्धता यानि स्वीकृति एक सप्ताह की निश्चित समयावधि में की जाने की व्यवस्था की जाये, साथ ही बिहार एवं अन्य पिछड़े राज्यों से आने वाले माननीय सांसदों की अनुशंसा की स्वीकृति की संख्या भी दोगुनी की जाये।